2025:CGHC:50141

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील प्रतिकर क्रमांक 1007/2022

द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वाराः शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, प्रथम तल, दुबे कॉम्प्लेक्स, बसंत टॉकीज के पास, जी.ई. रोड, कैंप–2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

... **अपीलार्थी**

विरुद्ध

1. श्रीमती हेमलता साहू, पति बिसेलाल साहू, आयु लगभग 43 वर्ष;

2. बिसेलाल साहू, पिता स्व. कन्हैया लाल साहू, आयु लगभग 47 वर्ष;

दोनों निवासी– वार्ड नं. 8, गली नं. 35, शिव मंदिर के पीछे, दुबे डेयरी, सुंदर नगर कोहका – भिलाई, थाना – सुपेला, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़।

3. इंद्रनील शर्मा, पिता सुब्रत कुमार शर्मा, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी– क्वार्टर नं. 5–सी, गली नं. 9, सेक्टर 4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (वाहन चालक)।

4. सुब्रत कुमार शर्मा, पिता एन.एन. शर्मा, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी– क्वार्टर नं. 5–सी, गली नं. 9, सेक्टर 4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, (वाहन स्वामी)।

... **प्रत्यर्थीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से	:	कोई उपस्थित नहीं
न्याय मित्र	:	श्री ए.एल. सिंगरौल, अधिवक्ता।

एकल पीठ – माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

08.10.2025

1. चूंकि प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हो रहा है, यद्यपि उन्हें सूचना तामील की जा चुकी है, अतः यह न्यायालय वर्तमान प्रकरण में सहायता हेतु विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एल. सिंगरौल को न्याय मित्र नियुक्त करना उचित समझता है।

2. यह अपील अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के अधीन प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (संक्षिप्त में "दावा अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 59/2021 में दिनांक 05.07.2022 को पारित आक्षेपित अधिनिर्णय चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान दावा अधिकरण ने दावाकर्तागण के आवेदन को स्वीकार करते हुए ब्याज सहित कुल ₹12,28,165/– की राशि प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है। इसमें अपीलार्थी पर इस सिद्धांत के आधार पर दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वह पहले दावाकर्तागण को प्रतिकर का संदाय करे और उसके बाद दुर्घटना कारित करने वाले वाहन स्वामी और चालक से उसकी वसूली करे।

3. अपीलार्थी/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दशरथ गुप्ता ने यह तर्क किया कि दावा अधिकरण ने संदाय और वसूली के सिद्धांत को लागू करके दायित्व निर्धारित करने में त्रुटि की है, क्योंकि प्रश्नाधीन वाहन केवल "एक्ट ओनली पॉलिसी/लायबिलिटी ओनली पॉलिसी" के अधीन बीमित था और वाहन में सवार व्यक्ति/मृतक के जोखिम को आच्छादित करने के लिए कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। अतः, दावा अधिकरण को "संदाय और वसूली" के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और इस सीमा तक बीमा कंपनी को उक्त दायित्व से मुक्त करते हुए अपील स्वीकार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, यद्यपि उन्हें सूचना तामील की जा चुकी है।

5. न्याय मित्र के रूप में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एल. सिंगरौल ने यह तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण में निहित विवाद्यक का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व ही **सुनीता व अन्य विरुद्ध यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य**[1] के प्रकरण में किया जा चुका है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "*एक्ट ओनली पॉलिसी/लायबिलिटी ओनली पॉलिसी(अधिनियम–मात्र पॉलिसी /दायित्व–मात्र पॉलिसी)*" में भी "संदाय और वसूली" का सिद्धांत लागू किया जा सकता है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उपरोक्त प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुनीता** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इस विवाद्यक पर विचार किया है कि क्या एक्ट ओनली पॉलिसी/लायबिलिटी ओनली पॉलिसी के अधीन बीमित वाहन के संबंध में "संदाय और वसूली" के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है, जबकि वाहन चालक, वाहन स्वामी या उसमें यात्रा कर रहे आनुग्रहिक यात्री को आच्छादित करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "**13.** वर्तमान तथ्यों पर विचार करें तो, अभिलेख के सरल परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन वाहन का बीमा "लायबिलिटी ओनली

1 2025 INSC 867

पॉलिसी" के अधीन किया गया था और उसमें यात्रा करने वाले वाहन चालक, वाहन स्वामी या आनुग्रहिक यात्री के जोखिम को आच्छादित करने के लिए कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। इसके बावजूद, हमारे अभिमत में, विचारण न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि बीमा कंपनी दावाकर्ता–अपीलार्थीगण को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यहाँ "संदाय और वसूली" के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए था। अतः, हम विचारण न्यायालयों के उपरोक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक हैं।

14. हमें **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बलजीत कौर**[2] के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या पर विचार करना चाहिए। उस प्रकरण में मृतक एक आनुग्रहिक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के उतावलेपन से एवं उपेक्षापूर्ण चालन के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बीमा कंपनी को विचारण न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित राशि का संदाय करने और उसे वाहन स्वामी से वसूलने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि वाहन स्वामी द्वारा आनुग्रहिक यात्री के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त स्थिति का अनुपालन इस न्यायालय द्वारा **अनु भंवरा विरुद्ध इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**[3] के प्रकरण में भी किया गया है, जहाँ आहत व्यक्ति एक आनुग्रहिक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था और बीमा पॉलिसी के अधीन आच्छादित नहीं था, वहाँ वाहन चालक और वाहन स्वामी को प्रतिकर राशि के संदाय के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। इस न्यायालय ने "संदाय और वसूली" के सिद्धांत को लागू किया और बीमा कंपनी को राशि का संदाय करने तथा उसके बाद वाहन स्वामी से उसे वसूलने का निर्देश दिया।

16. उपर्युक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में अपनाया गया है, जैसे: **अमृत लाल सूद विरुद्ध कौशल्या देवी थापर**[4]; **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सी.एम. जया**[5]**; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध चल्ला उपेंद्र राव**[6]; **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**

2 (2004) 2 SCC 1
3 (2020) 20 SCC 632
4 (1998) 3 SCC 744
5 (2002) 2 SCC 278
6 (2004) 8 SCC 517

विरुद्ध विमल देवी[7]; **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध साजू पी. पॉल**[8]; **मनुआरा खातून विरुद्ध राजेश कुमार सिंह**[9]; और **पुट्टप्पा विरुद्ध रामा नाइक**[10]।

17. विधि की उपरोक्त व्याख्याओं को लागू करते हुए, विचारण न्यायालयों को बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि का संदाय करने और उसके बाद उसकी वसूली करने का निर्देश देना चाहिए था।

18. इसलिए, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, हमारा यह अभिमत है कि बीमा कंपनी अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति राशि का संदाय करने और उसे केवल दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के स्वामी से वसूलने के लिए उत्तरदायी है।"

8. वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि वाहन "एक्ट ओनली पॉलिसी/लायबिलिटी ओनली पॉलिसी(अधिनियम–मात्र पॉलिसी/दायित्व–मात्र पॉलिसी)" के अधीन बीमित था और उसमें सवार व्यक्ति/मृतक के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, तथापि, **सुनीता** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, दावा अधिकरण द्वारा संदाय और वसूली के सिद्धांत को लागू करते हुए यहाँ बीमा कंपनी/अपीलार्थी पर दायित्व अधिरोपित करना न्यायसंगत है। इस प्रकार, मुझे वर्तमान अपील में कोई गुणानुगुण प्रतीत नहीं होता है और तदनुसार, इसे **खारिज** किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह न्यायालय वर्तमान प्रकरण में अल्प सूचना पर न्याय मित्र के रूप में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एल. सिंगरौल द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करता है।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

7 2010 SCC OnLine SC 49
8 (2013) 2 SCC 41
9 (2017) 4 SCC 796
10 2018 SCC OnLine SC 3496